न्यायाधीश *मंजरी नेहरू कौल* के समक्ष

हरजीत सिंह और अन्य- *याचिकाकर्ता*

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य—*प्रतिवादी*

2020 की सीडब्ल्यूपी संख्या 7308

23 जुलाई 2020

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 12, 226 और 227-पंजाब सहकारी समिति अधिनियम, 1961-पंजाब सहकारी समिति नियम, 1962-आरएल 9- सहकारी समिति के कार्यों और मामलों के संबंध में रिट याचिका की अनुरक्षणीयता - आयोजित, प्रतिवादी समिति न तो किसी संविधि के तहत बनाई गई थी और न ही राज्य का उसके मामलों पर कोई वित्तीय दांव या नियंत्रण था- इसके अलावा, समाज द्वारा कोई सार्वजनिक कार्य नहीं किया जा रहा था ताकि इसे संविधान के अनुच्छेद 226 के दायरे में लाया जा सके - याचिका खारिज कर दी गई।

और रूप उप-कानूनों के उपरोक्त प्रावधानों को पढ़ने से कोई संदेह नहीं है कि प्रतिवादी नंबर 3-सोसाइटी, जो पंजाब सहकारी समिति अधिनियम, 1961 के तहत पंजीकृत है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के अर्थ के भीतर राज्य नहीं है। याचिकाकर्ताओं द्वारा रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं लाया गया है जो दूर से भी यह दिखाने या सुझाव देने के लिए कि राज्य उक्त प्रतिवादी नंबर 3-सहकारी समिति में एक हितधारक था।

(पैरा 12)

आगे आयोजित, कि मामले की बात करें तो प्रतिवादी नंबर 3- सोसाइटी अपने स्वयं के उपनियमों द्वारा शासित है और राज्य की 'सोसाइटी' में कोई वित्तीय हिस्सेदारी नहीं थी और न ही उसके मामलों पर कोई नियंत्रण था। अंतिम लेकिन कम से कम, जैसा कि पहले ही ऊपर पुन: प्रस्तुत किए गए उद्देश्यों में कोई संदेह नहीं है कि प्रतिवादी नंबर 3-सोसाइटी द्वारा कोई सार्वजनिक कार्य नहीं किया जा रहा था ताकि इसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के दायरे में लाया जा सके।

(पैरा 15)

आगे कहा कि, ऊपर दर्ज किए गए कारणों के लिए, इस न्यायालय का विचार है कि वर्तमान रिट याचिका सुनवाई योग्य नहीं है क्योंकि आदेश, जिसे आक्षेपित किया गया है, एक इकाई द्वारा पारित किया गया है, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत राज्य नहीं है।

(पैरा 17)

अमित झांजी, अधिवक्ता, *याचिकाकर्ताओं के लिए।*

हरीश नैन, ए.ए.जी., हरियाणा।

बी.एस. राणा, प्रतिवादी नंबर 3 के लिए गगनदीप राणा, एडवोकेट के साथ सीनियर एडवोकेट।

रमन शर्मा, अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 8 के लिए।

मंजरी नेहरू कौल, जे।

(एक) प्रतिवादी संख्या 4 – प्रबंधक, एचएमटी कर्मचारी सहकारी उपभोक्ता समिति लिमिटेड (((इसके बाद 'सोसाइटी' के रूप में संदर्भित) और प्रतिवादी संख्या 5- निरीक्षक, सहकारी समितियों, द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 30.04.2020 (अनुलग्नक पी-14) को रद्द करने के लिए उत्प्रेषण की प्रकृति में एक रिट जारी करने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत तत्काल रिट याचिका को प्राथमिकता दी गई है। पिंजौर प्रतिवादी नंबर 3-सोसाइटी की ओर से अभिनय कर रहा था जिसके तहत याचिकाकर्ताओं की सेवाएं समाप्त कर दी गई थीं।

(दो) संक्षेप में तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता प्रतिवादी नंबर 3- सोसाइटी के नियमित कर्मचारी थे, जो पंजाब सहकारी समिति अधिनियम, 1961 (संक्षेप में 'अधिनियम, 1961') के तहत पंजीकृत एक सहकारी समिति है। याचिकाकर्ता प्रतिवादी नंबर 3-सोसाइटी के पेट्रोल पंप पर जूनियर सेल्समैन के रूप में कार्यरत थे। 1.07.2019 को, एचएमटी के प्रबंधन ने पेट्रोल पंप को बंद कर दिया, जो प्रतिवादी नंबर 3-सोसाइटी द्वारा चलाया जा रहा था, क्योंकि धोखाधड़ी और सोसायटी के धन के गबन के कारण 3 करोड़ रुपये (लगभग) का भारी नुकसान हुआ था। परिणामस्वरूप, प्रतिवादी नंबर 3-सोसाइटी के अधिकारियों के खिलाफ दिनांक 06.06.2019 को केस एफआईआर नंबर 197 भी दर्ज की गई थी। इसके बाद 30.04.2020 को, हरियाणा राज्य द्वारा नियुक्त प्रशासकों के बोर्ड- प्रतिवादी नंबर 1, हरियाणा सहकारी समिति अधिनियम की धारा 33 के साथ पठित धारा 122 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (संक्षेप में 'एचपीसीएल') -प्रतिवादी नंबर 8 को एक अवकाश योजना के तहत दो साल की अवधि के लिए और उसी दिन यानी 30.04.2020 (अनुलग्नक पी -14) को पेट्रोल पंप सौंप दिया। याचिकाकर्ताओं की सेवाओं को समाप्त करने का आक्षेपित आदेश पारित किया गया था।

(तीन) याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने कहा है कि याचिकाकर्ताओं की सेवाओं को समाप्त करने में प्रतिवादियों की कार्रवाई हरियाणा सहकारी समिति अधिनियम, 1984 और हरियाणा सहकारी समिति नियम, 1989 (इसके बाद "नियम" के रूप में संदर्भित) के प्रावधानों का उल्लंघन थी, इस तथ्य के साथ कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का अनुपालन नहीं किया गया था क्योंकि न तो उन्हें कोई पूर्व नोटिस जारी किया गया था और न ही होने का कोई अवसर दिया गया था सुना। विद्वान वकील ने आगे कहा कि चूंकि याचिकाकर्ता प्रतिवादी नंबर 3-सोसाइटी के कर्मचारी थे, इसलिए रजिस्ट्रार, सहकारी समितियों – प्रतिवादी नंबर 2 की मंजूरी उनकी सेवाओं को समाप्त करने से पहले नहीं ली गई थी, जो एक अनिवार्य आवश्यकता थी। अपने कथन के समर्थन में, विद्वान वकील ने ***यूपी स्टेट कॉप लैंड डेवलपमेंट बैंक लिमिटेड*** *पर भरोसा किया।बनाम चंद्रभान दुबे* ***और क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बनाम*** [1] *क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बिहार।* [2]

(चार) याचिका को प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3, 5 और 8 ने अपने-अपने जवाब दाखिल करके चुनौती दी थी।

---

[1] 1999 (1) एससीसी 741

[2] 2016 (8) एससीसी 535

(पाँच) एचपीसीएल - प्रतिवादी नंबर 8 द्वारा दायर लिखित बयान पर सबसे पहले आते हुए, यह कहा गया है कि प्रशासक मंडल द्वारा याचिकाकर्ताओं की सेवाओं की कथित समाप्ति प्रतिवादी नंबर 3-सोसाइटी और उसके कर्मचारियों यानी याचिकाकर्ताओं के बीच का मामला था, और उन्हें इससे कोई लेना-देना नहीं था। आगे यह भी बताया गया है कि प्रतिवादी नंबर 3-सोसाइटी और प्रतिवादी नंबर 8- एचपीसीएल के बीच संबंध संविदात्मक प्रकृति का था क्योंकि रिटेल आउटलेट डीलरशिप डीलरशिप समझौते के माध्यम से लाइसेंस प्रदान करने की प्रकृति में थी।

(छः) प्रतिवादी नंबर 3-सोसाइटी ने शुरुआत में ही इस आधार पर तत्काल याचिका की विचारणीयता पर सवाल उठाया है कि चूंकि प्रतिवादी नंबर 3 एक सहकारी समिति थी, जो पंजाब सहकारी समिति अधिनियम, 1961 के तहत पंजीकृत थी और उप-कानून, जो पंजाब सहकारी समिति नियम, 1962 के नियम 9 के तहत बनाए गए थे, यह न तो राज्य था और न ही कोई साधन और न ही राज्य की एजेंसी थी जैसा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत परिकल्पित है। इसलिए, यह इस न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार के लिए उत्तरदायी नहीं था। पेट्रोलियम आउटलेट, जहां याचिकाकर्ता काम कर रहे थे, जनवरी, 1965 में एचएमटी लिमिटेड, पिंजौर द्वारा पट्टे के आधार पर प्रदान की गई भूमि पर ईएसएसओ स्टैंडर्ड ईस्टर्न इंक द्वारा 'सोसायटी' को आवंटित किया गया था। तत्पश्चात् प्रतिवादी संख्या 3-सोसायटी द्वारा एचपीसीएल-प्रतिवादी संख्या 8 के साथ एक नया डीलरशिप करार किया गया। प्रतिवादी नंबर 3 के विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया है कि प्रतिवादी नंबर 3-सोसाइटी को पेपर बुक के साथ अनुलग्नक पी-1 के रूप में संलग्न उपनियमों में निहित प्रावधानों के अनुसार चलाया जा रहा था। न तो सोसाइटी – प्रतिवादी नंबर 3 ने राज्य सरकार से कोई अनुदान लिया और न ही राज्य के अधिकारियों की इसकी दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों, कार्यों और प्रबंधन पर कोई नियंत्रण था। आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि प्रतिवादी नंबर 3-सोसाइटी को अपने स्वयं के संसाधनों द्वारा उत्पन्न वित्त के साथ अपने मामलों को चलाना था।

(सात) प्रतिवादी संख्या 1, 2 और 5 ने अपने संक्षिप्त उत्तर में भी तत्काल रिट याचिका की विचारणीयता पर सवाल उठाया है। उनकी ओर से उपस्थित विद्वान वकील द्वारा यह आग्रह किया गया है कि उप-कानून 15.2 में निहित प्रावधान यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट करते हैं कि प्रतिवादी नंबर 3-सोसाइटी को 'सोसाइटी' के सभी वेतनभोगी कर्मचारियों को नियुक्त/निलंबित/दंडित करने या बर्खास्त करने की पूर्ण शक्तियां निहित हैं। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि कर्मचारियों को प्रतिवादी नंबर 3-सोसाइटी के निदेशक मंडल द्वारा नियुक्त किया गया था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि 'समाज' राज्य नहीं है, न ही राज्य का एक साधन है और न ही भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत परिकल्पित प्राधिकरण है, जो इसे इस न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार के लिए उत्तरदायी बनाता है।

(आठ) इसके अलावा, प्रतिवादी संख्या 1, 2 और 5 दिनांक 02.06.2020 द्वारा दायर उत्तर के अवलोकन से यह भी पता चलता है कि याचिकाकर्ताओं की सेवाओं को समाप्त करने के बाद, रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, हरियाणा – प्रतिवादी नंबर 2, और अतिरिक्त रजिस्ट्रार, सहकारी समिति (स्टोर) द्वारा कार्रवाई शुरू की गई थी, जिन्हें तीन महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था।

(नौ) पक्षकारों के विद्वान वकीलों को सुना और रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया।

(दस) यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी नंबर 3- 'सोसाइटी' किसी भी क़ानून के तहत नहीं बनाई गई थी। तथ्य यह है कि प्रतिवादी नंबर 3-सोसाइटी को पंजाब सहकारी समिति अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के तहत शामिल किया गया था, इसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के अर्थ के भीतर राज्य की विशेषताओं के साथ नहीं जोड़ा जाएगा।

(ग्यारह) उपविधियों के प्रावधानों का उल्लेख करना उचित होगा, जो इस प्रकार हैं:

के उपनियम

हिन्दुस्तान यंत्र टूल्स एम्प्लॉई कोऑपरेटिव कंज्यूमर सोसायटी लिमिटेड, पिंजौर, तहसील-खरड़

परिचय

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड, पिंजौर पिंजौर में सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत एक बड़ी औद्योगिक आवासीय कॉलोनी के साथ तीसरी मशीन टूल्स फैक्टरी स्थापित कर रहा है और जबकि हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड, पिंजौर के कर्मचारियों को उचित मूल्य पर उपभोक्ताओं की वस्तुओं और सेवाओं के वितरण के लिए पर्याप्त व्यवस्था मौजूद नहीं है, तथापि अपने सदस्यों के लाभ के लिए सहकारी आधार पर एक समिति चलाने का निर्णय लिया जाता है।

सहकारी समिति का कामकाज निम्नलिखित उपनियमों द्वारा शासित होगा जो पंजाब सहकारी समिति नियम, 1962 के नियम 9 के प्रावधानों के अनुसार बनाए गए हैं और ये उपनियम 20.08.1963 को लागू हुए और पंजाब सहकारी समिति अधिनियम, 1961 (1961 का पंजाब अधिनियम XXV) की धारा 8 (1) के तहत पंजीकृत किए गए हैं। इन उपनियमों का कोई संशोधन तब तक वैध नहीं होगा जब तक कि ऐसा संशोधन अधिनियम की धारा 10 (2) के तहत पंजीकृत न हो।

दो. वस्तु और गतिविधियाँ

समिति का उद्देश्य अंतिम उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं का समान वितरण सुनिश्चित करना होगा।

तीन. प्रवेश के लिए सदस्यता, कक्षाएं, योग्यता और प्रक्रिया

सोसाइटी की सदस्यता में व्यक्ति के निम्नलिखित वर्ग शामिल हो सकते हैं:

अ. व्यक्तिगत उपभोक्ता, जो हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड, पिंजौर के कर्मचारी हैं

आ. नियोक्ता (यहां नियोक्ता शब्द का अर्थ हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड, पिंजौर है, जिसके कर्मचारी सोसाइटी की सदस्यता में शामिल हैं)।

इ. हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड की संपत्ति पर कॉर्पोरेट निकाय या उपभोक्ताओं के संघ जैसे स्कूल, कॉलेज, हॉस्टल, क्लब, कैंटीन आदि, (पृष्ठ 41-60)

4 से 6 xxxx एक्स एक्स

सात. <u>धन जुटाना</u>

सोसायटी निम् नलिखित द्वारा निधियां जुटा सकती है:-

१. शेयर जारी करना;

२. व्यापार या खरीद जमा सहित सदस्यों और गैर-सदस्यों से जमा स्वीकार करना;

३. सरकार, हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड, पिंजौर या किसी अन्य संस्थानों या व्यक्तियों से अनुदान, सब्सिडी या अन्य वित्तीय सहायता स्वीकार करना;

४. हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड, सहकारी बैंकों, भारतीय स्टेट बैंक, किसी भी अनुसूचित बैंक या सरकार या रजिस्ट्रार द्वारा अनुमोदित किसी अन्य स्रोत से ऋण जुटाना।

आठ. XXX XXX XXX

नौ. <u>सामान्य निकाय की बैठक के लिए गठन और प्रक्रिया</u>

इन उपनियमों के पैरा 3.1 के साथ पढ़ें, सामान्य निकाय में शामिल होंगे:

१. व्यक्तिगत शेयर धारक

२. हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड, पिंजौर के महाप्रबंधक के रूप में कार्य करने वाले महाप्रबंधक या अधिकारी या उनके नामिती।

३. महाप्रबंधक द्वारा नामित सोसाइटी के कोषाध्यक्ष या हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड, पिंजौर के महाप्रबंधक के रूप में कार्य करने वाले अधिकारी।

४. सोसायटी का प्रबंधक जो हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड का कर्मचारी होगा।

10 से 14 एक्स एक्स एक्स एक्स

पंद्रह <u>प्रबंध समिति की शक्तियां, कार्य और दायित्व</u>

प्रबंध समिति सभी शक्तियों का प्रयोग करेगी, ऐसी शक्तियों और कर्तव्यों को छोड़कर सभी कर्तव्यों का पालन करेगी जो सामान्य निकाय के लिए उपनियम के तहत आरक्षित हैं।

विशेष रूप से और पूर्वगामी प्रक्रिया की व्यापकता के लिए गिरावट के बिना, प्रबंध समिति के पास निम्नलिखित शक्तियां, कार्य और दायित्व होंगे:

मैं से VII xxxx एक्स एक्स

८ सोसायटी के सभी वेतनभोगी सेवकों को नियुक्त करना, निलंबित करना, दंडित करना या बर्खास्त करना उपनियमों 15.4 और 15.5 में निहित प्रावधानों के अधीन

९ XXV xxxx के लिए एक्स एक्स

एक्स एक्स एक्स एक्स

प्रबंध समिति द्वारा एक कर्मचारी चयन समिति नियुक्त की जाएगी जिसमें कम से कम 3 सदस्य होंगे जिनमें से प्रबंधक सदस्य-सचिव होंगे। यह समिति सोसायटी के सभी कर्मचारियों का चयन करने और नियुक्त करने के लिए सक्षम होगी।

एक अपील प्रबंध समिति के निर्णय से आम बैठक तक केवल उन मामलों में होगी जहां ऐसी शक्ति विशेष रूप से आम बैठक द्वारा खुद के लिए आरक्षित की गई है।

16 से 30 xxxx एक्स एक्स एक्स

(बारह) उपनियमों के उपर्युक्त प्रावधानों को पढ़ने से कोई संदेह नहीं रह जाता है कि प्रतिवादी नंबर 3-सोसाइटी, जो पंजाब सहकारी समिति अधिनियम, 1961 के तहत पंजीकृत है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के अर्थ के भीतर राज्य नहीं है। याचिकाकर्ताओं द्वारा रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं लाया गया है जो दूर से भी यह दिखाने या सुझाव देने के लिए कि राज्य उक्त प्रतिवादी नंबर 3-सहकारी समिति में एक हितधारक था।

(तेरह) एसएस राणा ***बनाम*** *रजिस्ट्रार सहकारी समितियां और अन्य* के ***मामले में उच्चतम न्यायालय***[3] ।सहकारी समिति के कार्यों और कार्यों के संबंध में रिट याचिका की विचारणीयता के प्रश्न पर विचार करते समय समिति ने निम्नानुसार टिप्पणी की

> "यह विवाद में नहीं है कि सोसायटी का गठन एक अधिनियम के तहत नहीं किया गया है। किसी अन्य सहकारी समिति की तरह इसके कार्यों को मुख्य रूप से अधिनियम के प्रावधानों के संदर्भ में विनियमित किया जाता है, सिवाय इसके कि सोसायटी के उप-नियमों में प्रदान किया गया है। सोसायटी के कार्यों में राज्य का कोई अधिकार नहीं है। सदस्यता, शेयरों का अधिग्रहण और अन्य सभी मामले अधिनियम के तहत बनाए गए उप-नियमों द्वारा शासित होते हैं। सहकारी समिति के एक अधिकारी के नियम और शर्तें, निर्विवाद रूप से, नियमों द्वारा शासित होती हैं। नियम 56, जिसका संदर्भ श्री विजय कुमार द्वारा दिया गया है, में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसके संदर्भ में सोसायटी के किसी अधिकारी को कोई कानूनी अधिकार प्रदान किया गया हो।
>
> यह हमारे सामने नहीं दिखाया गया है कि राज्य गहरे और व्यापक नियंत्रण के लिए सोसायटी के मामलों पर कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नियंत्रण रखता है। इसके अलावा राज्य बहुसंख्यक शेयरधारक नहीं है। राज्य के पास केवल एक निदेशक को नामित करने की शक्ति है। इस प्रकार, यह नहीं कहा जा सकता है कि राज्य सोसाइटी के मामलों पर इस अर्थ में किसी भी कार्यात्मक नियंत्रण का प्रयोग करता है कि बहुमत निदेशकों को राज्य द्वारा नामित किया जाता है। इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कि राज्य का समाज पर गहरा और व्यापक नियंत्रण है, कई अन्य प्रासंगिक प्रश्नों पर विचार करने की आवश्यकता है, अर्थात्: (1) सोसाइटी कैसे बनाई

[3] 2006 (11) एससीसी 634

गई थी? (२) क्या यह किसी एकाधिकार चरित्र का आनंद लेता है ?; (3) क्या सोसायटी के कार्य वैधानिक कार्यों या सार्वजनिक कार्यों में भाग लेते हैं?; और (4) क्या इसे सार्वजनिक प्राधिकरण के रूप में वर्णित किया जा सकता है?

यह सुस्थापित है कि कंपनी अधिनियम या सहकारी समिति अधिनियम जैसे अधिनियम के तहत सामान्य विनियम किसी कंपनी या सोसाइटी के कार्यकलापों को राज्य के नियंत्रण के अधीन नहीं करेंगे। अधिनियम के प्रावधानों के संदर्भ में इस तरह के नियंत्रण सोसायटी के उचित कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए हैं और राज्य या वैधानिक प्राधिकरणों का इसके दिन-प्रतिदिन के कार्यों से कोई लेना-देना नहीं होगा।

सोसायटी का गठन किसी भी संविधि के तहत नहीं किया गया है। यह पहले नहीं दिखाया गया है कि अपीलकर्ता की सेवाओं को समाप्त करने में, प्रतिवादी ने अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों के किसी भी अनिवार्य प्रावधान का उल्लंघन किया है। वास्तव में, रिट याचिका में ऐसा कोई मामला नहीं बनाया गया था।

(चौदह) महाप्रबंधक, ***किसान सहकारी चीनी मिल्स लिमिटेड, सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश*** *उच्चतम* ***न्यायालय ने शत्रुघ्न निषाद और अन्य बनाम शत्रुघ्न निषाद और अन्य***[4] के मामले में निर्णय दिया था कि एक सोसायटी, जिसका गठन किसी अधिनियम के तहत नहीं किया गया था और जहां राज्य का सोसायटी के मामलों और कामकाज पर कोई गहरा और व्यापक नियंत्रण नहीं था, वह सोसाइटी की गतिविधियों को राज्य के नियंत्रण के अधीन नहीं करेगी और इसलिए, ऐसा समाज भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के अर्थ के भीतर राज्य नहीं होगा।

(पंद्रह) मामले की बात करें तो प्रतिवादी नंबर 3- सोसाइटी अपने स्वयं के उपनियमों द्वारा शासित है और राज्य की 'सोसाइटी' में कोई वित्तीय हिस्सेदारी नहीं थी और न ही उसके मामलों पर कोई नियंत्रण था। अंतिम लेकिन कम से कम, जैसा कि पहले ही ऊपर पुन: प्रस्तुत किए गए उद्देश्यों में कोई संदेह नहीं है कि प्रतिवादी नंबर 3-सोसाइटी द्वारा कोई सार्वजनिक कार्य नहीं किया जा रहा था ताकि इसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के दायरे में लाया जा सके।

(सोलह) इन परिस्थितियों में याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील द्वारा यूपी ***स्टेट कॉप लैंड डेवलपमेंट बैंक लिमिटेड के*** मामले (सुप्रा) पर रखी गई निर्भरता से उन्हें कोई फायदा नहीं होगा। ***उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड के*** मामले (सुप्रा) में, सुप्रीम कोर्ट ने इस तथ्य के बिंदु के रूप में पाया कि निगम के मामलों को राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित किया गया था, निगम को भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के दायरे में लाया गया था। याचिकाकर्ताओं का मामला स्पष्ट रूप से ***क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (सुप्रा) के*** *मामले* से भी अलग है, जिसमें यह माना गया था कि बोर्ड द्वारा किए गए कार्य और गतिविधियां सार्वजनिक कर्तव्यों और राज्य के कार्यों के समान थीं, जो इसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट क्षेत्राधिकार के लिए उत्तरदायी बनाती हैं। याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील यह नहीं दिखा सके कि प्रतिवादी नंबर 3-सोसाइटी के कार्य और गतिविधियां सार्वजनिक कर्तव्यों के समान थीं।

---

[4] 2003(8) एससीसी 639

(सत्रह) ऊपर दर्ज कारणों के लिए, इस न्यायालय का विचार है कि वर्तमान रिट याचिका सुनवाई योग्य नहीं है क्योंकि आदेश, जिसे आक्षेपित किया गया है, एक इकाई द्वारा पारित किया गया है, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत राज्य नहीं है।

(अठ्ठारह) तदनुसार, वर्तमान याचिका खारिज की जाती है। हालांकि, याचिकाकर्ताओं को किसी भी कानूनी उपाय को आगे बढ़ाने की स्वतंत्रता दी जाती है जो कानून के तहत उनके लिए उपलब्ध हो सकती है।

सुमति जुंड

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

चाहत

प्रशिक्षु न्यायिक

अधिकारी

अंबाला, हरियाणा